

राष्ट्रीय महिला आयोग

25 अक्टूबर, 2024 को आयोजित आयोग की 241वीं बैठक का कार्यवृत्त

इस बैठक में अध्यक्ष महोदया के साथ निम्नलिखित सदस्य एवं सदस्य सचिव उपस्थित थे :

1. सुश्री विजया किशोर रहाटकर	अध्यक्ष
2. सुश्री डेलिना खोंदुप	सदस्य
3. सुश्री ममता कुमारी	सदस्य
4. सुश्री अर्चना मजूमदार	सदस्य
5. सुश्री मीनाक्षी नेगी	सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :

1. सुश्री शिवानी दे,	उप सचिव
2. सुश्री शिवानी तोमर	अवर सचिव
3. सुश्री शालिनी रस्तोगी	अवर सचिव
4. श्री अशोक कुमार	वेतन एवं लेखा अधिकारी
5. श्री आशुतोष पांडे	अवर सचिव
6. श्री मनमोहन वर्मा	विधि अधिकारी
7. श्री एस एस सेनापति	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
8. श्री पराग रोहतगी	सहायक विधि अधिकारी
9. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
10. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ/मानव तस्करी रोधी /महिला सुरक्षा आडिट)
11. सुश्री देबोलीना	परामर्शदाता
12. श्री अतुल सिन्हा	वरिष्ठ प्रोग्रामर

सदस्य सचिव ने आयोग की 241वीं बैठक में नव मनोनीत माननीय अध्यक्ष, सुश्री विजया किशोर रहाटकर; राष्ट्रीय महिला आयोग और नई सदस्य सुश्री अर्चना मजूमदार का अन्य सदस्यों के साथ स्वागत किया। अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यसूची की मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/1 :

18 जुलाई, 2024 को आयोजित आयोग की 240वीं बैठक का कार्यवृत्त।

18 जुलाई, 2024 को आयोजित आयोग की 240वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों को परिचालित किए गए, चूंकि इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई इसलिए आयोग द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/2 :

18 जुलाई, 2024 को आयोजित आयोग की 240वीं बैठक की मदों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

18 जुलाई, 2024 को आयोजित आयोग की 240वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को सदस्य सचिव द्वारा एक-एक करके स्पष्ट किया गया जिसको आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/3:

06 अगस्त, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक का कार्यवृत्त।

06 अगस्त, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/4:

06 अगस्त 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

18 जुलाई, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/5 :

वित्त वर्ष 2024-25 में "असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ" विषय पर संगोष्ठी प्रस्ताव (पूर्वोत्तर क्षेत्र)।

आयोग द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया गया और अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. वर्ष 2024-25 के लिए 11,84,499/- रुपये (ग्यारह लाख चौरासी हजार चार सौ निन्यानवे रुपये मात्र) के व्यय के साथ 6 संगोष्ठियाँ आयोजित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति।

ख. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पहली किस्त के रूप में 5,92,250/- (पांच लाख बानवे हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) की राशि प्रदान करने का अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/6 :

संगोष्ठी प्रस्ताव: "महिलाओं का सशक्तिकरण : पूर्वोत्तर भारत में मादक द्रव्यों के सेवन का प्रतिरोध" विषय पर आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. कुल 12,58,000/- रुपये (केवल बारह लाख अट्ठावन हजार रुपये) के व्यय के साथ सात कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की संस्वीकृति।

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य महिला आयोगों को पहली किस्त के रूप में 6,29,000/- रुपये (केवल छह लाख उनतीस हजार रुपये) की राशि प्रदान करना।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/7:

प्रकृति गाइड प्रशिक्षण : पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 6 दिवसीय प्रकृति गाइड प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की संस्वीकृति जिसका कुल अनुमानित बजट 42,00,000/- रुपये (बयालीस लाख रुपये केवल) है।

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य महिला आयोगों को पहली किस्त के रूप में लगभग 21,00,000/- रुपये (इक्कीस लाख रुपये केवल) की राशि प्रदान करने का अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/8 :

राज्य पुलिस अकादमियों/प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस विभाग के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए लैंगिक संवेदीकरण कार्यशाला।

आयोग द्वारा मामले पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. पूरे देश में राज्य पुलिस अकादमियों/प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस विभाग के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय लैंगिक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करना।

ख. प्रत्येक कार्यशाला में क्रमशः 200 और 300 प्रतिभागियों के लिए 1,50,000/- रुपये और 2,50,000/- रुपये संस्वीकृत करके सहयोगी संस्थान के साथ मिलकर संस्वीकृति राशि का 80% अग्रिम के रूप में प्रदान करना तथा शेष राशि रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/बिल/वाउचर प्राप्त होने पर वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यक्षीन प्रदान करना।

ग. बाह्य विशेषज्ञों को प्रत्येक सत्र के लिए 5000/- रुपये की दर से मानदेय का भुगतान तथा मितव्ययी हवाई यात्रा व्यय, 2 टियर वातानुकूलित या सड़क मार्ग से यात्रा के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान।

घ. अब तक आयोजित 5 कार्यक्रमों का कार्योत्तर अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/9 :

कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण : चुनौतियाँ एवं अवसर विषय पर (वीसीएसजी उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय) के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. 6,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये केवल) का कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति।

ख. वीसीएसजी उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए पहली किस्त के रूप में 4,50,000/- रुपये (चार लाख पचास हजार रुपये केवल) की राशि प्रदान करने का कार्योत्तर अनुमोदन।

ग. वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यक्षीन रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/बिल/वाउचर प्राप्त होने पर शेष राशि प्रदान करने का अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/10:

पूरे देश में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से महिला किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. पूरे देश में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से महिला किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

ख. प्रत्येक सहयोगी संस्थान को प्रति बैच 40 और 50 प्रतिभागियों के लिए क्रमशः 3,00,000/- रुपये और 3,75,500/- रुपये की व्यय संस्वीकृति तथा संस्वीकृत राशि का 50% संस्थान को पहली किस्त के रूप में प्रदान करना और शेष राशि रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/बिल/वाउचर प्राप्त होने पर वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यधीन प्रदान करना।

ग. विभिन्न संस्थानों के सहयोग से छह 3 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम आयोजित करना।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/11:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के सहयोग से जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए महिला संबंधी कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. प्रति कार्यक्रम 20,00,000/- रुपये के बजट के साथ जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के 6 बैचों का आयोजन।

ख. जिला मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के आयोजन के लिए प्रति बैच 20,00,020/रु. के कुल अनंतिम बजट की 80 प्रतिशत राशि अर्थात् 16,00,016/-रु. (सोलह लाख सोलह रुपये केवल) को प्रथम किस्त के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को कार्यांतर प्रदान करना।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/12:

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से "पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे - महिलाओं पर बोझ को उजागर करना" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. पंजाब के 8 जिलों में प्रारंभ में मार्गदर्शी परियोजना के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से "पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे - महिलाओं पर बोझ को उजागर करना" विषय पर पंजाब राज्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

ख. चंडीगढ़ में हितधारकों की एक बैठक तथा क्षेत्र में 8 जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 9,08,000/- रुपये (नौ लाख आठ हजार रुपये केवल) की राशि के वित्तीय निहितार्थ के लिए कार्यांतर अनुमोदन प्रदान करना।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/13:

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अनुसंधान परियोजना।

क. आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया और चयनित संस्थानों को उनके संयुक्त तकनीकी और वित्तीय अंकों के आधार पर नौ क्षेत्रों के लिए अनुसंधान अध्ययन प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। संस्थान की सूची नीचे दिए अनुसार है :

क्षेत्र का नाम	उच्चतम समग्र अंक वाले क्षेत्र के लिए चयनित संस्थान का नाम
पूर्वोत्तर क्षेत्र	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
पूर्वोत्तर क्षेत्र - 1	भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान
पूर्वोत्तर क्षेत्र - 2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
पूर्वोत्तर क्षेत्र - 3	भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान
मध्य क्षेत्र	मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान
पूर्वी क्षेत्र -1	मानव विकास संस्थान
पूर्वी क्षेत्र -2	प्रबंधन अध्ययन अकादमी
दक्षिणी क्षेत्र -1	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
दक्षिणी क्षेत्र -3	भारत माता कॉलेज (स्वायत्त)

ख. यह भी निर्णय लिया गया कि अधिक विश्वसनीय अध्ययन के हित में कार्यप्रणाली/प्रतिचयन आदि पर संशोधन/सुझाव की गुंजाइश होनी चाहिए।

ग. आयोग ने पश्चिमी क्षेत्र 1, पश्चिमी क्षेत्र 2, पश्चिमी क्षेत्र 3 और दक्षिणी क्षेत्र 2 के लिए पुनः निविदा जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/14 :

"भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों के प्रभाव का आकलन : पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का आकलन" विषय पर अनुसंधान परियोजना

क. आयोग द्वारा संबंधित संस्थानों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय अंकों के आधार पर पाँच क्षेत्रों के लिए विचार-विमर्श किया गया और कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान करके कार्य सौंपे गया जो निम्नानुसार है :

क्रम. सं.	संस्थानों के नाम	क्षेत्र का नाम
1	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) वारंगल	दक्षिणी क्षेत्र - 1
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) इंदौर	पूर्वोत्तर क्षेत्र - 1

3	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)	उत्तरी क्षेत्र - 2
4	सुशासन केंद्र	दक्षिणी क्षेत्र - 2
5	सुशासन केंद्र	मध्य क्षेत्र

ख. यह भी निर्णय लिया गया कि अधिक विश्वसनीय अध्ययन के हित में कार्यप्रणाली/प्रतिचयन आदि पर संशोधन/सुझाव की गुंजाइश होनी चाहिए।

ग. आयोग ने शेष सात क्षेत्रों में पुनः निविदा जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद संख्या 241/1/15:

"असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ" (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र) विषय पर संगोष्ठी प्रस्ताव (वित्त वर्ष 2024-25)

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. "असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ" विषय पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संगोष्ठी (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र) आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों से प्राप्त 12 प्रस्तावों को अनुमोदन।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12 संगोष्ठियों के आयोजन के लिए 24,94,499/- रुपये (चौबीस लाख चौरानवे हजार चार सौ निन्यानवे रुपये मात्र) के व्यय की संस्वीकृति।

ग. प्रथम किस्त (कुल लागत का 50%) के रूप में 12,47,249/- रुपये (बारह लाख सैंतालीस हजार दो सौ उनचास रुपये मात्र) प्रदान करने का अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 241/11/1

वर्ष 2024-25 के लिए किया गया प्रगतिशील व्यय और वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित शेष।

आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 30 सितंबर, 2024 तक किए गए व्यय और वर्ष 2024-25 के लिए 30 सितंबर, 2024 तक अव्ययित शेष राशि पर विचार-विमर्श किया।

कार्यसूची मद संख्या 241/11/2

मासिक रिपोर्ट - जुलाई, 2024 से सितंबर, 2024 के दौरान शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

आयोग द्वारा आयोग में शिकायतों और जांच के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट (जुलाई, 2024 से सितंबर, 2024 तक) पर विचार-विमर्श किया।

अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सुनवाई की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और यह भी निर्देश दिया कि इस संबंध में सभी सदस्यों को सूचित किया जाए।

कार्यसूची मद संख्या 241T/1

राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म, आयोग की वेबसाइट, आयोग का स्टे सेफ ऐप (ऑडिट प्लेटफॉर्म - वेब और मोबाइल) और आयोग का हर लीगल गाइड (मोबाइल ऐप और सीएमसी) का रखरखाव और तकनीकी सहायता

आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :

क. राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म, आयोग की वेबसाइट, आयोग का स्टे सेफ (ऑडिट प्लेटफॉर्म - वेब और मोबाइल) और आयोग का हर लीगल गाइड (मोबाइल ऐप और सीएमसी) के रखरखाव और तकनीकी सहायता के लिए 2 साल के लिए 2,61,55,000/- रुपये (दो करोड़ इकसठ लाख और पचपन हजार रुपये केवल) की राशि की संस्वीकृति प्रदान की गई।

ख. इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन को 1 वर्ष की लागत के 50% के भुगतान के लिए 62,27,000/- रुपये (बासठ लाख सत्ताईस हजार रुपये केवल) का भुगतान।

कार्यसूची की विविध मदें :

अध्यक्ष ने आयोग द्वारा विविध विषयों के क्षेत्र में कार्य करने की सराहना करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. कैलेंडर 2025 और स्थापना दिवस 2025 का विषय अहिल्या बाई होल्कर के जीवन पर आधारित होगा।

2. यह निर्णय लिया गया कि मासिक समाचार पत्र में विषय-वस्तु के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता है और आयोग के काम के अलावा इसमें अन्य एजेंसियों द्वारा महिलाओं से संबंधित मामलों पर किए जा रहे विशेष कार्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. माननीय अध्यक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की कि आयोग को अपने कार्यक्रमों के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों से अतिरिक्त धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिनके पास क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता प्रदान करने आदि की योजनाएँ हैं। विधि अधिकारी द्वारा आयोग की ओर से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की गई।

4. अरुणिमा पत्रिका जनवरी, 2025 से मासिक रूप से प्रकाशित की जाएगी।


(मीनाक्षी नेगी)
सदस्य सचिव


(विजया किशोर रहाटकर)

अध्यक्ष